नोखा।

23-1-2020

वकील वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में प्रार्थी सं.1 का नाम हरीराम पुत्र राजूराम व प्रार्थी सं. 2 का नाम भंवरीदेवी पत्नी हरीराम अंकित है जबकि वाके रोही जयसिंहदेसर मगरा के खेत खसरा नम्बर 934/507 रकबा 12.62 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरनाम पुत्र राजुराज नाम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। इसी प्रकार वाके रोही मूंजासर के खेत खसरा नम्बर 171,172,189,190,196,273 कुल किता 6 कुल तादादी 27.43 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी 1 का नाम रहनाम पुत्र राजूराम व प्रार्थी सं. 2 का नाम भंवरी पत्नी हरनाम अंकित है जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। वाके रोही मूंजासर की वादगत भूमि प्रार्थीगण के हिस्से की रहन है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थीगण का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही जयसिंहदेसर मगरा के खेत खसरा नम्बर 934/507 रकबा 12.62 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरनाम पुत्र राजुराज के स्थान पर हरीराम पुत्र राजूराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार वाके रोही मूंजासर के खेत खसरा नम्बर 171, 172, 189, 190, 196, 273 कुल किता 6 कुल तादादी 27.43 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम हरनाम पुत्र राजुराज के स्थान पर हरीराम पुत्र राजूराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम भंवरी पत्नी हरनाम के स्थान पर भंवरीदेवी पत्नी हरीराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है साथ ही तहसीलदार नोखा को आदेश दिये जाते है कि वादगत भूमि रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करे। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।

23/1/20

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.12 21:03:23 IST
Reason: SelfAttested